महत्वपूर्ण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
8 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक परिसर, अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2015/14227 भोपाल, दिनांक 29/12/2015

प्रति,

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
   जिलाः भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगौन, उज्जैन, देवास, नीमच, मदंसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर–मालवा, सीधी, सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, सागर, जबलपुर, बालघाट, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी, मध्यप्रदेश

2. जिला शिक्षा अधिकारी, लोक शिक्षण संचालनालय,
   जिलाः भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगौन, उज्जैन, देवास, नीमच, मदंसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर–मालवा, सीधी, सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, सागर, जबलपुर, बालघाट, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी, मध्यप्रदेश

3. जिला परियोजना समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र,
   जिलाः भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगौन, उज्जैन, देवास, नीमच, मदंसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर–मालवा, सीधी, सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, सागर, जबलपुर, बालघाट, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी, मध्यप्रदेश

4. जिला कार्यक्रम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवाएं,
   जिलाः भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, इंदौर, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, धार, अलीराजपुर, खण्डवा, खरगौन, उज्जैन, देवास, नीमच, मदंसौर, रतलाम, शाजापुर, आगर–मालवा, सीधी, सिंगरौली, अनुपपुर, शहडोल, सागर, जबलपुर, बालघाट, सिवनी, मण्डला, डिण्डोरी, नरसिंहपुर, ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, भिण्ड, मुरैना, श्योपुर एवं शिवपुरी, मध्यप्रदेश

विषयः– 10 फरवरी 2016 को 1 से 19 वर्षीय बच्चों में कृमिनाशन हेतु प्रदेश के 41 जिलों में राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के संबंध में।

संदर्भः– राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र क्र. Z-28020/237/2013-CH, दिनांक 11.12. 2015

****

विषयांतर्गत लेख है कि बच्चों में कृमि संक्रमण, व्यक्तिगत अस्वच्छता तथा संक्रमित दूषित मिट्टी के संपर्क से संभावित होता हैं। कृमि संक्रमण से बच्चों की जहॉ एक ओर शारीरिक एवं बौद्धिक विकास बाधित होती है वही दूसरी ओर उनके पोषण स्तर एवं हिमोंग्लोबिन स्तर पर भी दूष्प्रभाव पड़ता हैं। अतः 1 सें 19 वर्षीय बच्चों का कृमिनाशन करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित एक साक्ष्य आधारित सकारात्मक रणनीति है। **भारत सरकार के निर्देशानुरूप समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में एक साथ दिनांक 10 फरवरी 2016 को राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस एवं दिनांक 15 फरवरी 2016 को मॉप–अप दिवस का आयोजन किया जाना है जिसके अंतर्गत शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 1 सें 19 वर्षीय समस्त बच्चों का कृमिनाशन किया जाना है। प्रदेश में 41 जिलों में उपरोक्तानुसार कृमिनाशन की कार्यवाही की जायेगी तथा शेष 10 जिलों में माह दिसम्बर 2015 में ही फायलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त समुदाय का कृमिनाशन किया जायेगा। प्रदेश के 3 जिले यथा भोपाल, रायसेन तथा सागर में प्रायवेट शालाओं में अध्ययनरत बच्चों को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जायेगा।** राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस का उद्देश्य हितग्राही समूह के समस्त बच्चों को एल्बेंण्डाजोल चबाने वाली मीठी गोली की प्रदायगी से बच्चों में कृमि नियंत्रण एवं उससे होने वाली आयरन की कमी की रोकथाम करना है ताकि बच्चों का सर्वांगीण बौद्धिक विकास तथा शालाओं में उपस्थिति में सुधार हो सके। कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्कूल शिक्षा विभाग, आदिम जाति कल्याण विभाग एवं एकीकृत बाल विकास सेवायें के समन्वय से किया जायेगा।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के आयोजन के संबंध में निर्देशित किया जाता है कि :–

- राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस (National Deworming Day–NDD-2016) का समारोहपूर्वक शुभारंभ जन प्रतिनिधि, राजनितिज्ञ अथवा जिला कलेक्टर के द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2016 को सुनिश्चित किया जाये।
- उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत 1 से 2 वर्षीय बच्चों को आधी गोली चूरा करके तथा 2 से 19 वर्षीय सभी बच्चों को एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की चबाकर खाने वाली मीठी गोली दिनांक 10 फरवरी 2016 को शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में निगरानीबद्ध रूप से खिलाई जाये एवं छुटे हुये बच्चों को दिनांक 15 फरवरी 2016 को मॉप–अप दिवस पर गोली खिलाई जाये।
- इस हेतु जिला स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के फेसीलिटेशन से अन्य विभागों को सम्मिलित करते हुये समन्वय समिति गठित की जाये।
- **विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस –2016 में विभिन्न विभागों की निम्नानुसार भूमिका होगी :–**

स्वास्थ्य विभाग	शिक्षा विभाग व आदिम जाति कल्याण विभाग	महिला बाल विकास विभाग
1. जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन एवं बैठक का आयोजन। 2. आवश्यक मात्रा में एल्बेण्डाजोल गोली शासकीय शालाओं/आदिवासी आश्रम शालाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों तक पहुँचाना। 3. प्रचार–प्रसार सामग्री एवं रिर्पोटिंग प्रपत्रों का मुद्रण एवं वितरण। 4. एन.डी.डी के दौरान किसी भी प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना। 5. एन.डी.डी के दौरान प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु समस्त शासकीय/शासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं, आदिवासी आश्रम शालाओं तथा आंगनवाड़ी केन्द्रों पर मूलभूत औषधियों की उपलब्धता, निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, ए. एन.एम., आशा आदि का संपर्क नम्बर की सूची उपलब्ध कराना, आवश्यकताजन्य आकस्मिक परिवहन व्यवस्था तथा प्रतिकूल घटना प्रबंधन प्रणाली संबधी सूचना सामग्री का प्रसार करना। 6. समन्वित विभागों के कर्मचारियों का समय–सीमा अर्द्ध दिवसीय प्रशिक्षण एवं संस्थावार एन.डी.डी. कीट का वितरण। एन.डी.डी. कीट में निम्न सामग्री होगी :– 1. एल्बेण्डाजोल 400 मि.ग्रा. की चबाने वाली गोली 2. प्रतिकूल घटना के प्रबंधन हेतु मूलभूत औषधियां 3. संपर्क नम्बर सूची 4. फ्लेक्स/ बैनर 5. शिक्षक एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु रिर्पोटिंग प्रपत्र युक्त हेन्डआउट 6. आशा हेतु पेम्पलेट 7. शाला तथा आंगनवाड़ी केन्द्र हेतु एक पोस्टर प्रति संस्था 7. कार्यक्रम की सशक्त निगरानी, रिर्पोट संकलन एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	1. कक्षाओं में इंद्राज बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 2. अधीनस्थ शिक्षकों का प्रशिक्षण हेतु नामांकन एवं प्रशिक्षण में भागीदारी सुनिश्चित करना। 3. कक्षा 1 से 12वी के शासकीय शिक्षकों के माध्यम से पंजीकृत समस्त बच्चों को एल्बेण्डाजोल गोली की निगरानीबद्ध प्रदायगी। 4. एन.डी.डी. दिवस तथा मॉप–अप दिवस के दिन अधिकाधिक बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करना। 5. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 6. छोटे बच्चों को मीठी गोली के प्रदायगी के समय विशेष ध्यान। 7. राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस के संबंध में पालकों को पूर्व सूचना देना। 8. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का शाला में प्रमुखता से प्रदर्शन। 9. एन.डी.डी. 2016 हेतु प्रदायित प्रसान समाग्री का प्रदर्शन । 10. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 11. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना। 12. कार्यक्रम की सशक्त निगरानी, रिर्पोट संकलन एवं सुधारात्मक विश्लेषण।	1. शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों की संख्या स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना ताकि तदानुसार आवश्यक औषधियों की व्यवस्थापन स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा सके। 2. 1 से 2 वर्षीय बच्चों को एल्बेण्डाजोल की आधी गोली तथा 2 से 5 वर्षीय बच्चों को पूरी गोली चम्मच से चूरा करके बच्चों को समक्ष में खिलाना। 3. 5 से 19 वर्षीय समस्त शाला अप्रवेशी/शाला त्यागी बच्चों का आंगनवाड़ी केन्द्र में एकत्रिकरण करना एवं एल्बेण्डाजोल गोली का सेवन सुनिश्चित करना। 4. गोली के सेवन उपरांत बच्चों के पीने हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था। 5. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 6. स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदायित निकटस्थ स्वास्थ्य केन्द्र, चिकित्सक, आशा तथा आकस्मिक परिवहन हेतु वाहन के संपर्क न. का शाला में प्रमुखता से प्रदर्शन। 7. एन.डी.डी. 2016 हेतु प्रदायित प्रसान समाग्री का प्रदर्शन । 8. बच्चों को एन.डी.डी दिवस पर गोली की प्रदायगी उपरांत उपस्थिति पंजी में ✓ का निशान लगाना तथा मॉप–अप दिवस पर गोली का सेवन करने वाले बच्चों के नाम के आगे ✓✓ का निशान लगाना। 9. हितग्राही बच्चों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में रिर्पोट स्वास्थ्य विभाग से सांझा करना। 10. कार्यक्रम की सशक्त निगरानी, रिर्पोट संकलन एवं सुधारात्मक विश्लेषण।

राष्ट्रीय कृमिमुक्ति दिवस –2016 के सफल आयोजन हेतु समस्त समन्वित विभाग स्वास्थ्य विभाग को आवश्यक सहयोग प्रदान करे।

संलग्न : भारत सरकार का संयुक्त दिशा–निर्देश

आयुक्त	आयुक्त	आयुक्त	आयुक्त	मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र	लोक शिक्षण संचालनालय	एकीकृत बाल विकास	आदिवासी विकास विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	सेवायें मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/एन.एच.एम/NIPI/2015/ 14228 भोपाल, दिनांक 29/12 /2015

प्रतिलिपिः– आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, वल्लभ भवन मध्यप्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, एकीकृत बाल विकास सेवायें, वल्लभ भवन, मध्यप्रदेश।
4. स्वास्थ्य आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
6. समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, जिला सागर, जबलपुर, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, शहडोल, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगौन, खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर, बालघाट, मण्डला, डिण्डोरी, सिवनी, श्योपुर, रतलाम, सीधी तथा सिंगरौली, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
11. राज्य कार्यकम अधिकारी, डीवर्म द वर्ल्ड इनिशिएटिव, मध्यप्रदेश की ओर लेख है कि अपने क्षेत्रीय तथा जिला समन्वयकों के माध्यम से शिक्षा, आदिम जाति कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के मध्य समन्वय स्थापित करें।
12. पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, भोपाल।
13. राज्य कार्यक्रम प्रतिनिधि, एम.आई., मध्यप्रदेश।
14. समस्त, जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश।
15. समस्त, जिला कार्यक्रम समन्वयक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश।
16. समस्त, जिला कार्यकम अधिकारी, एकीकृत बाल विकास सेवायें, मध्यप्रदेश।
17. समस्त, खण्ड चिकित्सा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
18. समस्त, संभागीय कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
19. समस्त, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।
20. समस्त, जिला पोषण सलाहकार, आर.सी.एच./एन.एच.एम., मध्यप्रदेश।

आयुक्त	आयुक्त	आयुक्त	आयुक्त	मिशन संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र	लोक शिक्षण संचालनालय	एकीकृत बाल विकास	आदिवासी विकास विभाग	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	सेवायें मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश	मध्यप्रदेश

Z-28020/237/2013-CH (Pt.III)
GOVERNMENT OF INDIA

New Delhi, dated: 11th December, 2015

B.P. SHARMA
Secretary
M/o Health and Family Welfare

S.C. KHUNTIA
Secretary
D/o School Education & Literacy

V. SOMASUNDARAN
Secretary
M/o Women and Child Development

Dear Chief Secretary,

Soil Transmitted helminths (STH) are significant public health concern for India. Around 68% children of 1-14 years of age (241 million) are estimated to be at risk of parasitic intestinal worm infestation. Evidence has shown detrimental impact of STH infestation on physical growth-anemia, undernutrition and cognitive development as well as school attendance. Periodic deworming can reduce the transmission of STH infections. During 2015, mass deworming was conducted across 11 States as a fixed day strategy to reduce the harm caused by STH on millions of children in India in a cost effective, simple and safe manner. The NDD has resulted in administration of deworming drug to more than 89 million children across these States.

During 2016, Ministry of Health and Family Welfare in collaboration with Ministry of Women and Child Development, Department of School Education and Literacy under Ministry of Human Resource Development, Ministry of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Panchayati Raj has decided to conduct annual mass deworming by observing National Deworming Day (NDD) on 10th February, 2016, across the country through schools and anganwadi centres alongwith intensive awareness generation activities focusing benefits of consuming Albendazole and adopting sanitation-hygiene practices.

A detailed NDD toolkit containing Operational framework, monitoring checklists, FAQs and Factsheets is uploaded on NHM website. Concerted efforts from the three departments at the State, District and Block level are required to ensure effective implementation and increased coverage of the program. We seek your support for the same through active participation of the Departments of Health, School Education and Women and Child Development in the upcoming NDD 2016.

The following steps are suggested to strengthen the coordination amongst the three stakeholder departments for the NDD program:

1. All the key stakeholder departments to coordinate with Department of Health in effective rolling out of NDD.

2. Establishment of State and District level coordination committees to be chaired by the Principal Secretary Health and the District Collector respectively.
3. School Education and Women & Child Development departments to provide the Department of Health with the desired numbers of target age group to cover all children 1-19 years age group, so as to ensure adequate procurement and supply of Albendazole tablets is made available for conducting NDD.
4. All the departments will put National Deworming Day as one of the agenda in their periodic meetings to reinforce key messages for the program and facilitate high coverage.
5. Training of functionaries from Education and WCD Departments to be supported by Health Department at State and District level, while block level training of teachers and anganwadi workers to be led by respective departments.
6. State may issue similar joint directive to the districts for effective rolling out of NDD 2016.
7. All stakeholder departments to disseminate the IEC material provided by the Department of Health to the schools, anganwadis and community as appropriate for increasing program awareness and facilitate greater coverage.
8. Officials of all the stakeholder departments are mandated to undertake field visits for monitoring and supportive supervision on the NDD and mop up day.
9. Reporting formats filled by schools and AWCs to be collected by ANMs from schools and anganwadis within the specified timelines.

We are confident that with your support for the NDD program, we will collectively be able to reach out to all the children in the age group 1-19 years and help improve their quality of life with improved health and educational outcomes.

Looking forward to your support in this regard.

With warm regards,

Yours sincerely,

(B.P. Sharma)

Yours sincerely,

(S.C. Khuntia)

Yours sincerely,

(V. Somasundaran)

To

Chief Secretaries of all States/UTs